<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)</u>

नम्बर 40/2023 दायर दिनांक–20.04.2023

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जरिये अधिकृत कमल किशोर शर्मा पुत्र जयसीताराम जाति ब्राहम्ण उपमहाप्रबंधक (लीगल) निवासी श्री सीमेंट लिमिटेड ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. पतासी देवी पुत्री कजोड़
2. प्रेमचंद पुत्र मोहन
3. महावीर पुत्र मोहन
4. दुर्गाराम पुत्र मोहन
5. श्योकोरी पत्नी स्व. मोहन
6. नारू पुत्र लखा
7. छोटी पत्नी स्व. किशना
8. तारामणि पत्नी रुघनाथ
9. बंशीधर पुत्र किशना
10. मंगलचंद पुत्र किशना
11. कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद
12. झाबरमल पुत्र प्रहलाद
13. भंवरलाल पुत्र प्रह्लाद
14. मुकेश पुत्र प्रह्लाद
15. मोहरी पत्नी स्व. प्रह्लाद
16. श्योपाल पुत्र झूथा
17. बोदूराम पुत्र झूथा
18. रामनारायण पुत्र झूथा
19. भागीरथ पुत्र जमना
20. बनारसी पुत्री जमना समस्त जाति अहीर निवासी चौढ़ाणी तन परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.) ।
21. प्रबंधक ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ ।
22. तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.) ।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा

वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

<u>दावा बाबत</u>

<u>स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक–30.10.2025

वादी की ओर से पेश वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

[redacted]र 996 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.0200 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 4.4200 हैक्टर स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित भूमि में खातेदार अणची देवी पुत्री कजोड़मल का 5/56 हिस्सा था जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/03/2018 को क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया इस प्रकार अणची देवी के 5/56 हिस्से का खातेदार वादी हो गया तथा खातेदार केशर पुत्र कजोड़मल का 1/7 हिस्सा था जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/04/2015 को क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया इस प्रकार केशर के 1/7 हिस्से का खातेदार वादी हो गया तथा खातेदार रामावतार पुत्र रामेश्वर व रामा पुत्री रामेश्वर का 1/7 हिस्सा था जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16/04/2015 को क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया इस प्रकार रामावतार व रामा के 1/7 हिस्से का खातेदार वादी हो गया इस प्रकार खातेदार अणची देवी, केशर, रामावतार व रामा का हिस्सा प्रार्थी क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर काबिज है तथा उक्त भूमि में 137/252 हिस्सा पूर्व में खरीदा हुआ है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी हिस्सा कंपनी के नाम से दर्ज है व उक्त भूमि पर कंपनी काबिज है इस प्रकार विवादित भूमि में वादी कुल 6/10 हिस्से का खातेदार है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 20 का है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती अविभाजित भूमि है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा शामलाती राजस्व रिकॉर्ड है।

विवादित सम्पूर्ण भूमि को वादी श्री सीमेन्ट लिमिटेड को राजस्थान सरकार के खान ग्रुप 2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2 (113) खान /ग्रुप –2/2007 दिनांक 12/04/2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा एम. एल. नम्बर 47/2007 वास्ते खनिज लाइमस्टोन ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ में आवंटित कि गई है जो खनन पट्टा लीज डीड दिनांक 18/04/2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है। यह कि उक्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं रही है, उक्त भूमि माइनिंग लीज की भूमि हो गई है।

विवादित भूमि की किस्म माइनिंग लीज की भूमि होने के कारण तथा खनन गतिविधि चलने के कारण इसमें किसी को भी निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 20 की नियत खराब हो गई है व विधि विरुद्ध तरीके से निर्माण कार्य करने को आमादा है इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से विवादित भूमि में ईंट पत्थर डालकर निर्माण कार्य चालु कर दिया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। यह लोग अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गए तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा वादी को व्यर्थ की मुकदमे बाजी मेंफंसना पड़ेगा जिसमे समय व धन की बर्बादी होगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 20 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए की विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करे ना ही अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर आदि से करवाए ऐसी हालत में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वादी को पेश करना आवश्यक हुआ है ।

विवादित भूमि में किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है तथा भूमि की किस्म परिवर्तन करवाए बिना भी निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सकता है। अगर इन लोगों को निर्माण कार्य करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपार क्षति होगी कानूनन वादी का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा अगर निर्माण कार्य हो जाता है तो वादी को अपार क्षति होगी वादी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना निहायत ही जरुरी है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 992 रकबा 0. 3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 र[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.7000 हैक्टर, [illegible] रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.0200 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 4.4200 हैक्टर [illegible] भूमि में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 20 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की ना तो इस भूमि में कोई निर्माण कार्य स्वयं करे, ना अपने रिस्तेदार नौकर चाकर आदि से करवाये व मौका व रिकॉर्ड को यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु नवीन परिहार पुत्र त्रिलोकेश्वर का चीफ का सपथ पत्र पेश किया किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2015, नकल विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2015, नकल विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2018 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रर्दश 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी की ओर से उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया है जिसका वह रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में भूमि के किसी हिस्से पर निर्माण आदि नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 992 रकबा 0. 3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.0200 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 4.4200 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.10..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:–40 / 2023 **(श्री सीमेंट बनाम पतासी देवी आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चौढ़ाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 992 रकबा 0. 3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.0200 हैक्टर कुल किता 11 रकबा 4. 4200 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:32 IST
Reason: SelfAttested